**भारत सरकार**
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 2190**
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

## नारी अदालतों का आंकलन

2190. **श्री राजा राम सिंह :**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में नारी अदालतों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन अदालतों में निपटाए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और उक्त अदालतों में कार्यरत प्रतिनिधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय ने उन राज्यों में, जहाँ ये अदालतें पहले से ही कार्यरत हैं, इनके प्रभाव का आंकलन करने के लिए कोई समिति गठित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि इस स्तर पर समस्या का समाधान नहीं होता है, तो क्या महिलाओं के लिए न्याय पाने हेतु कोई अन्य तंत्र उपलब्ध है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मंत्रालय ने इन अदालतों की कार्यवाही के बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए एक शिकायत निवारण कार्यालय भी स्थापित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उक्त अदालतों की स्थापना में शामिल हितधारकों का ब्यौरा क्या है और उनके साथ क्या परामर्श किया गया है?

**उत्तर**
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

**(क) से (च):** नारी अदालत को, 15वें वित्त आयोग की अवधि में, मिशन शक्ति के संबल वर्टिकल के तहत प्रायोगिक पहल के रूप में शुरू किया गया है। नारी अदालत पंचायत स्तर पर गठित महिला समूहों के माध्यम से बनाई जाती हैं और प्रत्येक समूह में सात से नौ सदस्य होती हैं जिन्हें न्याय सखी कहा जाता है। इसमें एक मुख्य न्याय सखी होती है जो नारी

अदालत के कार्यकलापों का नेतृत्व एवं समन्वय करती है। संबंधित राज्य/जिला नारी अदालत के समग्र प्रबंधन और संचालन के लिए ज़िम्मेदार है, जिसमें इसके सदस्यों की पहचान, चयन तथा नामांकन भी शामिल है। पंचायत अध्यक्ष/सरपंच की अध्यक्षता में एक बैठक की जाती है जिसमें बीडीओ/एसडीएम या उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस बैठक में ग्राम पंचायत सामाजिक रूप से सम्मानित और कार्य के लिए समर्पित महिलाओं को सदस्य के रूप में चुनती है, जिन्हें न्याय सखी कहा जाता है।

इस योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर वैकल्पिक विवाद समाधान, शिकायत निवारण, परामर्श और साक्ष्य के आधार पर निर्णय लेने जैसी सेवाएँ प्रदान करना है। तथापि,नारी अदालत कोई औपचारिक अदालत नहीं है, इसलिए किसी भी पीड़ित महिला को सदैव अपनी आवश्यकता के अनुसार कानूनी तंत्र का सहारा ले सकती है।

नारी अदालत की बैठकें ग्राम पंचायत कार्यालय, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, सामान्य सेवा केंद्रों, आँगनवाड़ी केंद्रों, या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थान पर नारी अदालत में लाए गए मामलों के निपटान के उद्देश्य से पाक्षिक आधार पर की जाती हैं। तथापि, यदि नारी अदालत की मुखिया आवश्यक समझे, तो किसी भी समय बैठक बुलाई जा सकती है।

यह योजना मांग आधारित है और वित्तीय वर्ष 2023-24 से असम राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर की 50-50 ग्राम पंचायतों में प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू की गई है। प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार, 16 राज्यों अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, सिक्किम और महाराष्ट्र में प्रत्येक में 10 ग्राम पंचायतों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव में से प्रत्येक में 5 ग्राम पंचायतों में प्रायोगिक परियोजना के आधार पर इस योजना के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दी गई है।

नारी अदालत एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 100 प्रतिशत केंद्रीय अंशदान होता है और इस योजना के समग्र कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की होती है। इसके अलावा, वर्ष में एक बार, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर योजना की समग्र गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करता है और उद्देश्यों की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करता है। इसके अलावा, मंत्रालय के अधिकारी समय-समय पर बैठकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की निरंतर समीक्षा करते हैं।

*****